

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

13.03.2025

प्राधिकरण की 129वीं बैठक
129th Meeting of the Authority

प्राधिकरण की 129वीं बैठक 12 मार्च, 2025 को आयोजित की गई।

बैठक में चर्चित/निर्णीत मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

मेसर्स वैल्यूएटिक्स रीएश्योरेंस लिमिटेड का पंजीकरण

मेसर्स वैल्यूएटिक्स रीइश्योरेंस लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। यह **सर्वप्रथम पुनर्बीमाकर्ता** है जिसे पुनर्नवीकृत विनियामक परिदृश्य में एकमात्र तौर पर पुनर्बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है। यह पुनर्बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में चिह्नित करता है।

प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की पहचान

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी** बीमाकर्ताओं के रूप में निम्नलिखित बीमाकर्ताओं की पहचान की गई:

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.
3. भारतीय साधारण बीमा निगम

बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक बाजारस्थान के संबंध में अद्यतन स्थिति

बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन (बीएसआईएफ), आईआरडीआई (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक मार्केटप्लेस) विनियम, 2024 के अधीन स्थापित किये जा रहे बीमा इलेक्ट्रानिक बाजारस्थान – **डी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर** की स्थापना करने के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा बनाई गई एक संस्था के अनुपालनों, कार्यकलापों और प्रक्रियाओं के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गई।

भविष्य के लिए तैयारी की पहलों में की गई प्रगति

बीमा क्षेत्र को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में मिशन पद्धति में की गई पहलों में की गई प्रगति पर ध्यान दिया गया अर्थात् निम्नलिखित के कार्यान्वयन की स्थिति का अवलोकन किया गया:

1. भारतीय जोखिम-आधारित पूँजी (आरबीसी)
2. इंड एएस (अभिसरित आईएफआरएस)
3. जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा

आईआईबीआई और आईआईआरएम के कार्यकलापों की स्थिति

आईआरडीएआई द्वारा प्रवर्तित संस्थाओं अर्थात् भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबीआई) तथा बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) द्वारा किये गये कार्यकलापों की स्थिति का जायजा लिया गया।

राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति

‘राज्य बीमा योजना’ जो बीमा समावेशन के लिए एक उत्प्रेरक होने और 2047 तक सबके लिए बीमा की परिदृष्टि प्राप्त करने हेतु आधारभूत कार्य करने के लिए परिकल्पित विकास एजेंडा के अंतर्गत एक पहल है, के संबंध में की गई प्रगति के विषय में अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इस पहल के अंतर्गत विनियमनकर्ता समाज की सभी श्रेणियों को बीमा समाधान उपलब्ध कराने के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य/संघराज्य क्षेत्र प्रशासन एवं अन्य हितधारकों के साथ बीमाकर्ताओं के सहयोग को सुसाध्य बनाता है।

एक संकेन्द्रित दृष्टिकोण के लिए जिन अग्रणी बीमाकर्ताओं को राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का आबंटन किया गया, उनके द्वारा किये गये कार्यकलापों पर विचार किया गया।

उक्त प्रयासों को औपचारिक रूप देने तथा उनको आगे और गति देने के लिए इस पहलू के अंतर्गत बनाई गई **मास्टर योजना** के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। उक्त योजना जो वर्तमान में सक्रिय परामर्श के अधीन है, के अनुसार राज्य बीमा योजना को संरक्षण के अंतरालों और उसके कवरेज के स्थानीयकृत अभिनिर्धारण को सुसाध्य बनाने के लिए राज्य, जिला, शहरी और ग्राम पंचायत स्तरों पर एक बहु-स्तरीय अभिशासन माडल द्वारा समर्थन दिया जाएगा। उक्त मास्टर योजना की एक केन्द्रीय विशेषता उक्त योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण करने एवं उसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए एक केन्द्रीयकृत मिशन कार्यालय के साथ ही, सभी राज्यों में बीमाकर्ताओं की फ़िज़िटल उपस्थिति सुनिश्चित करने पर फोकस है।

उक्त बैठक ने भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक **सुदृढ़, पारदर्शी और अग्रदर्शी** विनियामक पारिस्थितिकी तंत्र (ईको सिस्टम) के प्रति आईआरडीएआई की प्रतिबद्धता की पुनः अभिपुष्टि की है। प्राधिकरण वित्तीय स्थिरता, पालिसीधारक-केन्द्रित नवोन्मेषणों तथा सरल और कारगर पद्धतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।***

The 129th Meeting of the Authority was conducted on 12th March 2025.

Key aspects discussed/decided in the meeting include:

Registration of M/s Valueattics Reinsurance Ltd.

Approval was accorded to grant Certificate of Registration to M/s Valueattics Reinsurance Ltd. It is the **first reinsurer** to be granted registration to carry out exclusively reinsurance business in the revamped regulatory landscape. It marks a significant step in fostering competition in the reinsurance sector.

Identification of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)

The following insurers are identified as **Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)** for FY 2024-25:

1. Life Insurance Corporation of India
2. The New India Assurance Company Ltd.
3. General Insurance Corporation of India

Status update on the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace

A status update was provided as regards compliances, activities and processes of Bima Sugam India Federation (BSIF), an entity formed by the insurers to set up the Insurance Electronic Marketplace - the **Digital Public Infrastructure** being set up under the IRDAI (Bima Sugam – Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024.

Progress made in future ready initiatives

Progress made in initiatives taken up in Mission Mode towards making the insurance sector future ready were taken note of viz., Implementation of

1. Indian Risk-Based Capital (RBC)
2. Ind AS (converged IFRS)
3. Risk Based Supervisory Framework

Status of activities of IIBI and IIRM

Status of activities undertaken by the IRDAI promoted entities viz., Insurance Information Bureau of India (IIBI) and Institute of Insurance and Risk Management (IIRM) were noted.

Progress on the implementation of State Insurance Plan

A status update was discussed on the progress made in the 'State Insurance Plan' an initiative under the development agenda envisaged to be a catalyst for insurance inclusion and lay the groundwork for achieving the vision of *Insurance for All by 2047*. Under this initiative the Regulator facilitates collaboration of insurers with State/UT administration and other stakeholders to give impetus to the efforts of making available insurance solutions to all categories of the society.

Activities undertaken by the Lead Insurers to whom States/UTs were allotted for a focused approach, were considered.

There were discussions on **Master Scheme** formulated under this initiative to formalise and give further momentum to the efforts. As per the scheme which is currently under active consultation, the State Insurance Plan shall be supported by a multi-tiered governance model at the state, district, urban and gram panchayat levels to facilitate localized identification of protection gaps and coverage thereof. A central feature of the Master Scheme is the focus on ensuring phygital presence of insurers across all states, coupled with a centralized Mission Office to oversee the plan's execution as well as monitoring its progress.

The meeting reaffirmed IRDAI's commitment to a **robust, transparent and forward-looking** regulatory ecosystem for the Indian insurance industry. The Authority continues to work towards ensuring financial stability, policyholder-centric innovations and streamlined governance practices.***